



- 2 -


न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-2687-दो / 2013

जिला-टीकमगढ़

फैरैनसिंह आदि विरुद्ध म.प्र.शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08-03-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार पलेरा, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 10/अ-12/2012-13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18-04-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p> <p style="text-align: right;"> (अ.र.क. जैन) सदस्य 08/3/19</p>	